

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय प्रथम तल, प्लॉट सं.5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001, टेलि.सं.- 0124-4126285-86 फैक्स- 0124-4126261 ई-मेल- mbd@obc.co.in		Oriental Bank of Commerce (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) Merchant Banking Division, Corporate Office 1st Floor , Plot No.5, Institutional Area, Sector - 32 Gurgaon -122001 (Haryana) Tel.: 0124-4126285-86 Fax : 0124-4126261 E-mail: mbd@obc.co.in
--	---	---

HO/MBD/2016

05.03.2016

The Executive Director,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Dear Sir/Madam,

Reg: Notice of Extraordinary General Meeting

This is to inform that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Tuesday, the 29th March, 2016 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016 to consider the business as detailed in the Notice of EGM (copy enclosed)

In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 the Bank has provided its shareholders the facility to exercise voting right by electronic means through e-Voting Services provided by NSDL (www.evoting.nsdl.com) from 25th March, 2016 (9:00 am) to 28th March, 2016 (5:00 pm). The cut- off date for determining the rights of the shareholders for participation in e-voting/voting at the EGM is 22nd March 2016.

The above information is being submitted in compliance of Regulation 29 and 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully,



Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: as above



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ORIENTAL BANK OF COMMERCE

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव – 122001

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON – 122001

असाधारण आम बैठक EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

मंगलवार 29 मार्च, 2016 को प्रातः 10.00 बजे
Tuesday, the 29th March 2016 at 10.00 a.m.

VENUE:

PHD Chamber of Commerce and Industry,
PHD House, 4/2, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, New Delhi-110016

स्थान:

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
पीएचडी हाऊस, 4 / 2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

कॉरपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव – 122001

असाधारण आम बैठक की सूचना

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर तथा बँडके) विनियम 1998 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **मंगलवार 29 मार्च, 2016** को प्रातः **10.00 बजे** पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाऊस, 4/2, सिरी इस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 को निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

“संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से “अधिनियम” कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से “योजना” कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित (विनियमों) के रूप में ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बँडके) विनियम, 1998 (अब से “ओबीसी विनियम” कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियमन/दिशा-निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्याधीन है, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा/या एलआईसी की विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर **₹178,40,21,674.82**. (रुपए एक सौ अट्ठहत्तर करोड़ चालीस लाख इक्कीस हजार छः सौ चौहत्तर तथा बयासी पैसे मात्र) की सीमा तक सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित **₹82.79** (रुपए बयासी तथा उन्नासी पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित) पर नकदी हेतु **₹10/-** (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य के बैंक के **2,15,48,758** इक्विटी शेयरों की संख्या बनाने, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने हेतु बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत तथा अब बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हों (जो अब से मंडल कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु मंडल द्वारा गठित (की जाने वाली) समिति (या) सम्मिलित होंगी) ।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि **26 फरवरी, 2016** की तिथि, निर्गमित मूल्य निर्धारित करने की सुसंगत तिथि होगी ।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार/भारिबैं/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, द्वारा अपेक्षित या निर्धारित प्रस्ताव में कोई संशोधन स्वीकार करने का प्राधिकार तथा मंडल को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान/स्वीकृत करते समय इस प्रकार के अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों को तथा मंडल द्वारा सहमति प्राप्त यथानिर्धारित प्राधिकारियों को होगी ।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि कथित इक्विटी शेयर इस संकल्प के अनुसरण में अधिमानी आधार पर आबंटित निर्गम किए जाएं जोकि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय 7 के अंतर्गत लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन अमूर्त रूप में जारी किए जाएं और इस प्रकार की घोषणा के समय पर लागू सांविधिक दिशा-निर्देशानुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी संबंधितों (घोषित लाभांश सहित, यदि कोई हो) में रैंक सममात्रा होगा, जिसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना होगा जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है ।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी प्रकार के कार्यों, विलेखों, मामलों को अपने पूर्ण विवेक से जैसा भी आवश्यक और उचित, विधिवत और वांछनीय समझे और किसी भी प्रश्न का निस्तारण, कठिनाई या शंका को दूर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और शेयरों के निर्गम से संबंधित प्रश्नों, कठिनाइयों, शंकाओं का समाधान करने तथा शेयरधारकों के अतिरिक्त परामर्श एवं अनुमोदन के बिना ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और विषय, सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों और लेखन को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें अपने पूर्ण विवेक से उपयुक्त, उचित अथवा अपेक्षित समझें अथवा अंतिम आशय तक यह माना जाएगा कि इस संकल्प के प्राधिकार से शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट अनुमोदन प्रदान कर दिया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि संकल्प को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंक के निदेशक मंडल को एतद्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यकारी निदेशक (कों) या बैंक या समिति के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त अपनी सभी या कुछेक शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स



अनिमेष चौहान

स्थान : गुड़गांव

दिनांक : 03.03.2016

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियां:

1. व्याख्यात्मक कथन

कारोबार बैठक संबंधी भौतिक तथ्य व्याख्यात्मक कथन में दिए गए हैं जो इसके साथ संलग्न हैं।

2. मताधिकार

अधिनियम के अनुच्छेद 3 के उपखंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा कोई भी शेयरधारक उसके पास रखे शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त के अध्याधीन, शेयरधारक के रूप में 22 मार्च, 2016 अर्थात् बैंक की अंतिम तिथि को पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा परंतु केंद्र सरकार के अलावा शेयर धारक कुल मताधिकार के अधिकतम 10% का ही प्रयोग करने का पात्र होगा। ओबीसी विनियम के नियम 10 के अनुसार कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नामों में है तो रजिस्टर में जिसका नाम पहले है, मतदान के संबंध में उसको एकमात्र शेयरधारक माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। हालांकि, इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी

होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक की तिथि से कम-से-कम **चार दिन पहले** कार्यालय समय की समाप्ति से पहले अर्थात् बुधवार 23 मार्च, 2016 को सायं 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि ओबीसी विनियम, जो समय-समय पर यथासंशोधित है, के प्रावधानों के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई व्यक्ति किसी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण आम बैठक में भाग नहीं ले सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें वह पारित किया गया हो, द्वारा सत्यापित की गयी हो, बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन** पहले अर्थात् बृहस्पतिवार 24 मार्च, 2016 को बैंक का कार्य समय समाप्त होने से पहले सायं 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती।

कृपया ध्यान दें कि ओबीसी विनियम, जो समय-समय पर यथासंशोधित है, के प्रावधानों के अनुसार बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

5. उपस्थिति पर्ची – सह प्रवेश पत्र – सह मतपत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास नत्थी किया गया है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के पास विकल्प होगा कि वे ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अपना वोट प्रदान करें, जो ई-वोटिंग सुविधा का प्रयोग नहीं करते हैं, वे ईजीएम तिथि पर बैठक-स्लिप पर अपना वोट दे सकते हैं। शेयरधारक/प्रॉक्सीधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे विवरण की जांच करें, रिक्त स्थानों को भरें और निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और इसे बैठक स्थल पर दें। जैसा भी हो, शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास पर **“प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि”** लिखेंगे। इन प्रवेश पत्रों को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए जमा करना होगा।

अन्य जानकारीयें

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी सूचना की प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
- पते या ईमेल आईडी में परिवर्तन के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयर डीमैट रूप में होने की स्थिति में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी को और मूर्त रूप में होने पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को परिवर्तन संबंधी सूचना दें।
- शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।
- कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं अपनी व्यवस्था करें।
- जिन शेयरधारकों के पास नामों के समान क्रम में, एक जैसे नामों में अथवा संयुक्त नामों में एक से अधिक फोलियो के शेयर मूर्त रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इन्हें एक ही फोलियो में समेकित करने हेतु अपने शेयर सर्टिफिकेट बैंक के आरटीए को भेजें।
- ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे बैंक या हमारे रजिस्ट्रार के पास अपनी ई-मेल आई.डी. पंजीकृत कराएं ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि ई-मेल द्वारा भेज सकें। ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर डीमैट रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रयोजन हेतु अपने ई-मेल आई.डी. संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास पंजीकृत कराएं।
- बैंक की असाधारण आम बैठक के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति, यदि किसी सदस्य ने हार्ड प्रति की मांग नहीं की है तो जिसमें उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका बताया गया है, उन सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा रहा है जिनके ई-मेल आईडी बैंक/डिपोजीटरी सहभागियों के पास सम्प्रेषण के प्रयोजन

से पंजीकृत हैं। ऐसे सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं करवाए हैं उनको असाधारण आम बैठक के नोटिस की मूर्त प्रतियां, उपस्थिति पर्ची व प्रॉक्सी फार्म के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया का तरीका बताया गया है, अनुमत्य मोड से भेजा जा रहा है।

- सदस्य कृपया नोट करें कि असाधारण आम बैठक का नोटिस डाऊनलोड हेतु बैंक की वेबसाइट <https://www.obcindia.co.in> पर भी उपलब्ध रहेगा। इन दस्तावेजों की मूर्त प्रतियां कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबारी समय के दौरान निरीक्षण के लिए बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय, गुडगांव में भी उपलब्ध होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

- I. सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के दौरान प्रस्तावित संकल्पों पर सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए सहमत है ताकि प्रदत्त ई-वोटिंग सेवा के माध्यम से व्यवसायिक संव्यवहार की प्रक्रिया को सम्पन्न किया जा सके। सदस्यों को (रिमोट ई-वोटिंग हेतु) ईजीएम आयोजन स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मतदान करने की सुविधा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- II. ईजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान देने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के अधिकार का उपयोग नहीं किया है वे बैठक में मतपत्र द्वारा अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
- III. सदस्य जिन्होंने ईजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा मतदान कर दिया है वे बैठक में भाग ले सकेंगे, लेकिन वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग 25 मार्च, 2016 (प्रातः 9.00 बजे) से प्रारम्भ होकर 28 मार्च, 2016 को (सांय 5.00 बजे) (दोनों दिवस सम्मिलित) समाप्त होगी। इस अवधि में 22 मार्च, 2016 की अंतिम तिथि पर मूर्त या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा कर सकते हैं। मतदान के लिए उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद सदस्य को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- V. रिमोट ई-वोटिंग की पद्धति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार है :-
 - क. किसी सदस्य को एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होने पर (वे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक/डिपॉजिटरी सहभागी (यों) के पास पंजीकृत है) :
 - (i) पासवर्ड के रूप में अपनी क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर से ई-मेल एवं पीडीएफ़ फाइल खोलें अर्थात् "रिमोट ई-वोटिंग, पीडीएफ़"। रिमोट वोटिंग के लिए इस पीडीएफ़ फाइल में आपका यूजर आईडी तथा पासवर्ड/ पिन दिया गया है। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है ।
 - (ii) यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र चलाएं।
 - (iii) शेयरहोल्डर – लॉगिन पर क्लिक करें ।
 - (iv) उपरोक्त स्टेप (i) के अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड पिन के रूप में इस्तेमाल करें। लॉगिन को क्लिक करें ।
 - (v) आपको पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखेगा। पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड/पिन से बदलें जो कम से कम 8 अंकों/ शब्दों का हो या मिले जुले स्वरूप का हो। नए पासवर्ड को नोट कर लें। परामर्श है कि आप पासवर्ड किसी को न बताएं, किसी से शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गुप्त रखें ।
 - (vi) रिमोट ई-वोटिंग का होमपेज खुल जाने पर रिमोट ई-वोटिंग पर क्लिक करें : वोटिंग चक्र प्रारम्भ हो जाएगा ।
 - (vii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का "EVEN" चयन करें ।

- (viii) जैसे ही कास्ट वोट पेज खुलता है आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं ।
 - (ix) सही विकल्प चुनते हुए आप वोट दें तथा प्रॉम्प्ट होते ही “सबमिट” पर क्लिक कर “कनफर्म” भी करें ।
 - (x) पुष्टि होने पर, “वोट सफलतापूर्वक डाल दिया गया है” पटल पर दिखेगा ।
 - (xi) संकल्प पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद आपको वोट में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
 - (xii) संस्थागत शेयरधारक (जैसे, वैयक्तिक के अतिरिक्त, एच.यू.एफ., एन.आर.आई इत्यादि) जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकारी पत्र इत्यादि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) के साथ अपने सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से विधिवत अधिकृत हों, वे अंकेक्षक के माध्यम से 28 मार्च, 2016 को सायं 5.00 बजे तक ई-मेल amitguptacs@gmail.com तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in को प्रेषित करें ।
- ख. किसी सदस्य को असाधारण आम बैठक की सूचना की मूर्त प्रति प्राप्त होने पर [वे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक/ डिपॉजिटरी भागीदार (यों) के पास पंजीकृत नहीं है अथवा भौतिक प्रति का अनुरोध हो] :

- (i) प्रारंभिक पासवर्ड, असाधारण आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न पृथक शीट पर दिया जाता है ।

EVEN (रिमोट ई-वोटिंग इवेंट नंबर)

यूजर आईडी

पासवर्ड/पिन

- (ii) कृपया उपरोक्त क्र.सं. (ii) से क्र.सं. (xii) तक सभी चरणों का पालन करें और मतदान करें ।

- VI. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं ।
- VII. यदि आप पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड / पिन का प्रयोग कर सकते हैं ।
- VIII. आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं, जिसे भविष्य में पत्राचार हेतु उपयोग किया जा सकता है ।
- IX. सदस्यों को मतदान के अधिकार, 22 मार्च, 2016 को निर्दिष्ट तारीख के अनुसार बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे बशर्ते यह केन्द्र सरकार के अतिरिक्त कुल वोटिंग अधिकार का अधिकतम 10% हो ।
- X. कोई भी व्यक्ति, जो बैंक के शेयरों को सूचना भेजने के बाद अर्जित करता है और बैंक का सदस्य बन जाता है तथा निर्दिष्ट तारीख अर्थात् 22 मार्च, 2016 के अनुसार शेयरों को रखता है तो वे रिमोट ई-वोटिंग बंद होने से पूर्व evoting@nsdl.co.in अथवा बैंक के रजिस्ट्रार, लिंक इनटाइम प्रा.लि. के delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ।

तथापि, यदि आप पहले से रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं । यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना पासवर्ड www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प “Forgot User Details/Password” के द्वारा रीसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं ।

- XI. सदस्य, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी असाधारण आम बैठक में भाग ले सकता है परंतु असाधारण आम बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी ।
- XII. सदस्य, जिनका नाम निर्दिष्ट तारीख को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभग्राही मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ मतदान पत्र के द्वारा असाधारण आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्र होंगे ।
- XIII. मैसर्स अमित गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स में कार्यरत कंपनी सचिव, प्रोप्राइटर श्री अमित गुप्ता (सदस्यता सं. एफ़ 5478,

सीपी सं. 4682) को संवीक्षक (स्क्यूटेनाइजर) के रूप में नियुक्त किया गया है जो वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी संवीक्षा हेतु बैंक के सदस्यों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे ।

- XIV. असाधारण आम बैठक में मतदान किए जाने वाले संकल्पों पर चर्चा के बाद अध्यक्ष ईजीएम में उपस्थित सभी सदस्यों के लिए जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए अपना वोट नहीं दिया है, संवीक्षक की सहायता से 'मतपत्र' द्वारा वोटिंग की अनुमति देंगे ।
- XV. आम बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद संवीक्षक पहले बैठक में डाले गए वोटों की गिनती करेंगे तथा उसके बाद कम से कम ऐसे दो साक्षियों जो बैंक की सेवा में न हों, के समक्ष रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोटों को खोलेंगे तथा ईजीएम की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर पक्ष या विरोध, यदि कोई हो, में डाले गए कुल वोटों की समेकित अंकेषक रिपोर्ट को अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे और तुरंत मतदान का परिणाम घोषित करेंगे ।
- XVI. अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों को घोषित कर दिए जाने के बाद घोषित परिणामों को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ तत्काल बैंक की वेब साइट www.obcindia.co.in एवं एनएसडीएल की वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । इन परिणामों को तत्काल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी अग्रसारित कर दिया जाएगा ।

भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड, 2009 (पूंजी निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक कथन तथा प्रकटीकरण, यथासंशोधित

सेबी (आईसीडीआर) विनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के विवरण का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

1. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य

बैंक बैंकिंग और इससे संबंधित क्रियाकलापों के कारोबार में है । वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ है तथा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹299.85 करोड़ है ।

31 दिसंबर, 2015 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.14% रहा जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से कहीं अधिक है । तथापि, बैंक की टीयर-। पूंजी में वृद्धि के लिए तथा बैंक की संभावित विकास / विस्तार योजना के मद्देनजर बासेल-।।। पूंजी विनियमन के अनुसार पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बासेल-।।। मानक तथा तदोपर. ांत पूंजी प्रभार लागू करने के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और अधिक सशक्त बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा/या भारतीय जीवन बीमा निगम के विभिन्न योजनाओं से अनुरोध किया है कि वे बैंक की इक्विटी पूंजी में अनुदान दें ।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिनांक 22 फरवरी, 2016 के पत्र के माध्यम से किसी भी समय बैंक की उत्तर निर्गम पूंजी के 14.50% से अधिक एक्सपोजर न होने की शर्त पर सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर अधिमानी आबंटन द्वारा बैंक के 2,15,48,758 इक्विटी शेयर तक अभिदान प्रदान करने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना दी है ।

इस प्रकार से जुटाई गई पूंजी का प्रयोग पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए तथा बैंक की सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

2. वर्तमान संकल्प एक विशेष संकल्प के रूप से पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक के निदेशक मंडल उपर्युक्त अधिमानी आबंटन कार्य कर सके ।

3. प्रस्तावित इश्यू से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न:

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयर की संख्या के अनुसार आबंटन से पूर्व	आबंटन से पूर्व प्रदत्त पूंजी का %	शेयर की संख्या के अनुसार आबंटन के बाद	आबंटन के बाद प्रदत्त पूंजी का %
1.	प्रवर्तक अर्थात् भारत के राष्ट्रपति	177309043	59.13	177309043	55.17
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)*	25053880	8.36	46602638	14.50
3.	अन्य शेयरधारक	98910423	32.51	97485820	30.33
4.	कुल (1+2)	299848743	100	321397501	100.00

(*26 फरवरी, 2016 को पैन आधारित रिपोर्ट के अनुसार)

4. अधिमानी आबंटन की समयावधि, जिसमें यह पूरा कर लिया जाएगा:

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर आबंटन को पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि आबंटन का समय ऐसे आबंटन हेतु किसी विनियामक प्राधिकारी, यदि कोई हो, से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लिए जानेवाले समय तक बढ़ाया जाएगा ।

5. प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान और उनके द्वारा अधिमानी इश्यू पूंजी के पश्चात् धारित प्रतिशतता और अधिमान इश्यू के परिणामस्वरूप इश्यूकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि हो:

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	इश्यू से पूर्व शेयरों की संख्या	इश्यू से पूर्व पूंजी का %	अधिमानी आधार पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या	आबंटन के बाद शेयरों की संख्या	आबंटन के बाद पूंजी का %	आबंटन के पश्चात् वृद्धि का %
भारतीय जीवन बीमा निगम*	25053880	8.36	21548758	46602638	14.50	6.14

(*26 फरवरी, 2016 को पैन आधारित रिपोर्ट के अनुसार)

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और प्रस्तावित अधिमान आबंटन के परिणामस्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

6. प्रस्तावित अधिमान इश्यू का मूल्यन:

इश्यू मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया गया है । शेयरधारक नोट करें कि भारतीय जीवन बीमा निगम एक योग्य संस्थागत खरीदार के रूप में पंजीकृत है, निर्गम मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 76 (4) की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् निर्गम मूल्य, उस मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा जो प्रासंगिक तारीख से पहले दो सप्ताह के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों के मात्रा भारत औसत मूल्यों के साप्ताहिक अधिक और न्यून के औसत से कम न हो ।

परिणामी इक्विटी शेयरों का इश्यू मूल्य निर्धारित करने हेतु "संबंधित तारीख" 26 फरवरी, 2016 होगी ।

बैंक के इक्विटी शेयर 26 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध रहे हैं, इसलिए सेबी आईसीडीआर विनियमों के नियम 76 (3) तथा 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

7. सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणन:

सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणित प्राप्त प्रमाण-पत्र, जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम की अपेक्षाओं के अनुसार शेयरों के निर्गम से संबंधित है, उसे 29 मार्च, 2016 को होने वाली असाधारण आम बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

8. निश्चित अवरुद्धता अवधि :

बीमा कंपनी होने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयर धारिता की लॉक-इन से संबंधित सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 78(6) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नए शेयर एक वर्ष की अवरुद्धता अवधि के अध्यक्षीन होंगे तथा यह विशेष संकल्प के तहत आबंटित शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्वीकृत ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से होंगे ।

9. प्रस्ताव को समर्थित इश्यू के प्रवर्तकों / निदेशकों / मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों के प्रस्ताव:

कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधन व्यक्ति या बैंक के प्रवर्तक अर्थात् भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) इक्विटी शेयर हेतु अंशदान देने के इच्छुक नहीं हैं ।

10. उपरोक्तानुसार जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों की तुलना में सममात्रा पर रैंक किए जाएंगे। संकल्प के अनुसरण में जारी किए गए शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जहां बैंक के मौजूदा शेयर पहले से सूचीबद्ध हैं ।

11. भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा कंपनी होने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को संबंधित तिथि के पूर्ववर्ती छः माह के दौरान इक्विटी शेयर न बेचने से संबंधित सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 72 (2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है ।

12. सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 41(4) के अनुसरण में सूचीबद्ध इकाई सबसे पहले आनुपातिक आधार पर सभी शेयर (जब्त किए शेयरों सहित), प्रतिभूतियां, अधिकार, विशेषाधिकार, लाभ सूचीबद्ध इकाइयों के इक्विटी शेयरधारकों को जारी या प्रस्तावित करेंगे, जब तक कि आम बैठक में शेयरधारक अन्यथा निर्णय न लें ।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंक, उन स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करार में निर्धारित इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन कर रहा है ।

13. जहां कहीं आवश्यक है, वहां बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयरों के मूल्यों की पुनर्गणना का वचन देता है ।

14. बैंक वचन देता है कि यदि इन विनियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्गणना के मूल्य की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इक्विटी शेयर आबंटि द्वारा राशि के भुगतान किए जाने तक अवरुद्ध रहेगी ।

15. निदेशक मंडल नोटिस में दर्शाए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं ।

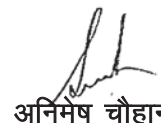
कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से संकल्प में दिए गए प्रस्ताव के इच्छुक या संबंधित नहीं हैं ।

निदेशक मण्डल के आदेश से

कृते ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

स्थान : गुड़गांव

दिनांक : 03.03.2016



अनिमेष चौहान

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

उपस्थिति पत्रक

(इसे परिसर में प्रवेश के समय प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक : 29 मार्च, 2016

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम (बड़े अक्षरों में)			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

मैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, पीएचडी हाऊस, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में 29 मार्च, 2016 को बैंक द्वारा आयोजित असाधारण आम बैठक में एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
--	--



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव - 122001

प्रवेश-पत्र

(बैठक की कार्यवाही के दौरान अपने पास रखा जाए)

दिनांक : 29 मार्च, 2016

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : नई दिल्ली

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे परिसर में प्रवेश करते समय उपरोक्त उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास को विधिवत् हस्ताक्षर करते हुए, जो बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप है, प्रस्तुत करें। प्रवेश, जांच एवं पूछताछ या जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, पर निर्भर है। किसी भी परिस्थिति में, बैठक हॉल में प्रवेश के लिए डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह-मतपत्र पास जारी नहीं किया जाएगा।



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 5, सैक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव - 122001

(इसे मतपत्र जारी करने हेतु मतदान काउंटर पर प्रस्तुत किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			



ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय: हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

प्रॉक्सी फार्म : ख
(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अमूर्त नहीं है)		(यदि शेयर अमूर्त है)	

मैं/हम.....राज्य.....जिले..... का/के निवासी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का/के शेयरधारक होने के नाते, मंगलवार 29 मार्च, 2016 को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, पीएचडी हाऊस, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में मेरी/हमारी और मेरे/हमारे लिए मतदान करने हेतु मेरी/हमारी/प्रॉक्सी के रूप में श्री/श्रीमती.....निवासी.....जिला..... राज्य.....को श्री/श्रीमती.....निवासी..... जिला..... राज्य.....को एतद्वारा नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

दिनांक, 2016 को हस्ताक्षरित

कृपया रेवेन्यू
स्टैम्प चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश

1	प्रॉक्सी प्रपत्र तभी वैध होगा, जब	
	क.	वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।
	ख.	संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर स्थित शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।
	ग.	निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत इसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा प्रपत्र ख में होगा तथा विधिवत् मुहरयुक्त होगा ।
2	प्रॉक्सी प्रपत्र, जिस पर शेयरधारक के अंगूठे का निशान लगा हो, तभी वैध होगा बशर्ते कि उसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो ।	
3	प्रॉक्सी के साथ	
	क.	मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा
	ख.	उस मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति, जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 23 मार्च, 2016 को कार्यालय समय की समाप्ति सायं 5.00 बजे अथवा इससे पहले ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रधान कार्यालय या कॉरपोरेट कार्यालय में जमा करवाया जाए ।
4	यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पहले से ही ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स या इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास पंजीकृत है तो अटर्नी अधिकार की पंजीकरण संख्या तथा पंजीकरण की तिथि बताई जाए ।	
5	प्रॉक्सी प्रपत्र तभी वैध होगा जब यह फार्म 'ख' में होगा और इसपर विधिवत् मुहर लगी हो ।	
6	बैंक के पास जमा प्रॉक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा ।	
7	यदि प्रॉक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्रॉक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा ।	
8	जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।	
9	कोई व्यक्ति ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है ।	

.....



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001
CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON – 122001

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE will be held on **Tuesday, the 29th March 2016 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016**, to transact the following business:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as Special Resolution: -

“RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as “the Act”), read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as “the Scheme”), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as “OBC Regulations”), including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as (the “SEBI ICDR Regulations”) and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the “Board”, which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution), to create, offer, issue and allot **2,15,48,758** equity shares of the Bank of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each for cash at an Issue price (including premium) of **₹82.79** (Rupees Eighty two and seventy nine paise only) per equity share, as determined in accordance with SEBI ICDR Regulations aggregating upto **₹178,40,21,674.82** (Rupees One hundred seventy eight crore forty lakh twenty one thousand six hundred seventy four and paise eighty two only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India (LIC) and/or various Schemes of LIC.

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of Issue Price is **26th February 2016.**”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board”.

“RESOLVED FURTHER THAT the said Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations and shall rank pari passu in all

respects (including Dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration and shall be listed on the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.”

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other Officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors

For ORIENTAL BANK OF COMMERCE



Animesh Chauhan

Managing Director & CEO

Place: Gurgaon

Date: 03.03.2016

NOTES:

1. Explanatory Statement

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business to be transacted at the meeting is annexed hereto.

2. Voting Rights

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut-off date i.e. 22nd March 2016 shall have one vote for each share held by him **subject to maximum of 10% of the total voting rights other than the Central Government.** As per Regulation 10 of the OBC Regulations, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting. The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at Head Office or Corporate Office of the Bank, **not less than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Wednesday , 23rd March 2016. Please note that no person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations, amended from time to time.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed has been deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, **not less than FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Wednesday , 23rd March, 2016. Please note that no person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of the Bank as per the provisions of OBC Regulations, as amended from time to time.

5. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS-CUM BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum Ballot Paper pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives of Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their votes at voting to be conducted at the venue of the meeting on the date of EGM. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details and fill in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy holders / Authorized Representatives of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum ballot paper pass as **“Proxy”** or **“Authorized Representative”** as the case may be. Such entry passes shall be surrendered to obtain ballot paper at the time of Poll.

Other information

- Shareholders are requested to bring their copies of the Notice and valid photo identity card to the meeting.
- For change of address or email id, shareholders are requested to notify change in address / email id to their respective Depository Participant in respect of holding shares in demat form and to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. in case of physical holding.
- Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.
- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Bank's RTA for consolidation into single folio.
- ***The shareholders having shares in physical form are requested to register their email-ids with the Bank or our Registrar to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail. The shareholders holding shares in demat form are requested to register their email-ids with their respective Depository Participant for the above purpose.***
- Electronic copy of the Notice of the Extra-ordinary General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members whose email IDs are registered with the Bank/Depository Participants(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the Extra-ordinary General Meeting of the Bank indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- Members may also note that the Notice of the Extra-ordinary General Meeting of the Bank will also be available on the Bank's website <https://www.obcindia.co.in> for download. The physical copies of the aforesaid document will also be available at the Bank's Corporate Office in Gurgaon for inspection during normal business hours on working days.

Voting through Electronic Means

- I. In compliance with provisions of Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Bank is pleased to provide its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Extra-ordinary General Meeting (EGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- II. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

- IV. The remote e-voting period commences on 25th March, 2016 (9:00 am) and ends on 28th March, 2016 (5:00 pm) (both days inclusive). During this period members' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd March 2016, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- V. The process and manner for remote e-voting are as under:
- A. In case a Member receives an email from NSDL [for members whose email IDs are registered with the Bank /Depository Participants(s)] :
- (i) Open email and open PDF file viz; "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
 - (ii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - (iii) Click on Shareholder - Login
 - (iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
 - (v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - (vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
 - (vii) Select "EVEN" of Oriental Bank of Commerce".
 - (viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
 - (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
 - (x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 - (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to simultaneously send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to amitguptacs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in latest by 5.00 p.m. of 28th March, 2016.
- B. In case a Member receives physical copy of the Notice of EGM [for members whose email IDs are not registered with the Bank/Depository Participants(s) or requesting physical copy] :
- (i) Initial password is provided on the Separate Sheet annexed to the Notice of EGM:
EVEN (Remote e-voting Event Number) USER ID PASSWORD/PIN
 - (ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.
- VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.

- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- IX. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank subject to maximum of 10% of total voting rights other than Central Government as on the cut-off date of 22nd March 2016.
- X. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes member of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd March 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to Bank's Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. at delhi@linkintime.co.in sufficiently before the closing of remote e-voting.
- However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- XI. A member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
- XII. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot paper.
- XIII. Mr. Amit Gupta (Membership No. F5478, C.P. No. 4682), Practising Company Secretary, Proprietor of M/s. Amit Gupta & Associates has been appointed as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Bank to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIV. The Chairman shall at the EGM at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and shall make not later than three days of the conclusion of the EGM, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- XVI. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.obcindia.co.in and on the website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and the Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE).

Explanatory Statement and Disclosures as required to be made in terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended upto date

The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI (ICDR) Regulations:

1. The Objects of the proposed Preferential Issue:

The Bank is in the business of the banking and its related activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank is Rs.299.85 crore.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st December 2015 is 11.14%, which is well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However, to augment Tier 1 capital of the Bank and to meet capital adequacy requirements as per Basel III Capital Regulations in view of the projected growth / expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. Accordingly, the Bank has approached the Life Insurance Corporation of India (LIC) and / or various Schemes of LIC of India for subscribing to the equity capital of the Bank.

The Life Insurance Corporation of India has vide its letter dated 22nd February 2016 communicated their in-principle approval for subscribing to the extent of 2,15,48,758 equity shares of the Bank by way of Preferential Allotment at a price as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009 subject to the total exposure not exceeding 14.50% of post issue capital of the Bank at any point of time.

The capital raised would be utilized to shore up the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

2. The present resolution is proposed to be passed as a Special Resolution in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the aforesaid preferential allotment.

3. Shareholding Pattern before and after the proposed Issue:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre-allotment Paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid Up Capital
1.	Promoter i.e. President of India	177309043	59.13	177309043	55.17
2.	Life Insurance Corporation of India (LIC)*	25053880	8.36	46602638	14.50
3.	Other Shareholders	97485820	32.51	97485820	30.33
4.	Total (1+2+3)	299848743	100.00	321397501	100.00

(*As per PAN based Report as on 26th February, 2016)

4. The timeline within which the preferential allotment shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided that the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment from any regulatory authority if any.

5. The identity of the Proposed Allottee and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

Identity of the Proposed Allottee	No of Shares before the Issue	% of capital prior to the Issue	No. of Equity shares to be allotted on Preferential basis	Number of shares held after allotment	% of Capital held Post allotment	Incremental % post allotment
Life Insurance Corporation of India*	25053880	8.36	2,15,48,758	46602638	14.50	6.14

(*As per PAN based Report as on 26th February, 2016)

The existing promoters of the Bank i.e. Government of India (President of India) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

6. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price has been determined in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations. Shareholders may note that as LIC of India is registered as Qualified Institutional Buyer, the Issue Price has been determined in terms of Regulation 76 (4) of SEBI (ICDR) Regulations i.e. the Issue Price will be determined at a price which is not less than the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the Equity Shares of the Bank during the **two weeks** preceding the Relevant Date.

The “Relevant Date” for determining the issue price of the resultant equity shares is 26th Feb 2016.

The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

7. Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditors certifying that the issue of shares is being made in accordance with the requirements of the SEBI (ICDR) Regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting on 29th March 2016.

8. Lock-in period:

The LIC of India being an Insurance Company is exempt from the provisions of Regulation 78(6) of SEBI ICDR Regulations relating to lock-in of entire pre-preferential shareholding

The new shares proposed to be issued on preferential basis to the LIC of India shall be subject to a lock-in period of one year from the date of trading approval granted by the Stock Exchange to the shares allotted pursuant to the Special Resolution.

9. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

None of the Directors or Key Management persons or Promoter of the Bank i.e. Government of India (President of India) intends to subscribe to the equity shares.

10. The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. The shares issued pursuant to the resolution would be listed on the stock exchanges where the existing shares of the Bank are already listed.
11. The LIC of India being an Insurance Company is exempt from the provisions of Regulation 72(2) of SEBI ICDR Regulations relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.
12. Pursuant to Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations, the listed entity shall, issue or offer in the first instance all shares (including forfeited shares), securities, rights, privileges and benefits to subscribe pro rata basis, to the equity shareholders of the listed entity, unless the shareholders in the general meeting decide otherwise.

All the shares held by the LIC of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

13. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of the SEBI ICDR Regulations where it is required to do.
14. The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the equity shares shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.
15. The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the Notice.

None of the Directors is in any way, concerned or interested in the proposal contained in the Resolution

By order of the Board of Directors
for ORIENTAL BANK OF COMMERCE



Animesh Chauhan

Managing Director & CEO

Place: Gurgaon

Date: 03.03.2016



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON – 122001

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date : March 29th, 2016

Time : 10.00 a.m.

Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

I hereby record my presence at the Extra-ordinary General Meeting of the Bank held on March 29th, 2016 at PHD Chamber of Commerce and Industry, 4/2, Siri Institutional Area, PHD House, August Kranti Marg, Delhi-110016.

Signature of the Shareholder/Proxy/Authorised Representative	
--	--



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON – 122001

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : March 29th, 2016

Time : 10.00 a.m.

Place : New Delhi

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			

Shareholders / proxy holders / authorized representative are requested to produce the above Attendance Slip-cum-Entry Pass, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, for admission to the venue. The admission may, however, be subject to verifications / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-Cum-Entry Pass-Cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting hall.



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON – 122001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder (IN BLOCK LETTERS)			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			



ORIENTAL BANK OF COMMERCE

HEAD OFFICE: HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001

CORPORATE OFFICE: PLOT NO.5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON-122001

PROXY FORM 'B'

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No.		DP ID	
If shares are not dematerialized		Client ID	
		If shares are dematerialized	

I/We, _____ resident/s of _____
in the district of _____ in the State of _____ being a
shareholder/shareholders of ORIENTAL BANK OF COMMERCE, hereby appoint Shri/Smt. _____
resident of _____ in the district of _____ in the State of _____
_____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____
in the district of _____ in the State of _____ as my/our
proxy to vote for me/us on my/our behalf at the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING of the shareholders of **ORIENTAL BANK OF COMMERCE** to be held on Tuesday, the March 29th, 2016 at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2016.

Please affix Revenue
Stamp

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name: _____

Address: _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1.	No instrument of proxy shall be valid unless,	
	a)	in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
	b)	in the case of joint holders, it shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
	c)	in the case of a body corporate, signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing and shall be in the Form B and duly stamped.
2.	An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his /her remark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce or any other Nationalised Bank.	
3.	The proxy together with	
	a.	the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
	b.	a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Head Office or Corporate Office of the Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m. of Wednesday, 23 rd March 2016.
4.	No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form B and duly stamped.	
5.	An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.	
6.	In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.	
7.	The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extra-ordinary General meeting to which such instrument relates.	
8.	No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.	
9.	All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.	
